भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3884

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

3884. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

श्री जय प्रकाश:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हरियाणा के सोनीपत और हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में देरी के संबंध में शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों की संख्या, सृजित कार्य-दिवसों, मजदूरी भुगतान की स्वीकृत समय-सीमा, वितरित मजदूरी और विलंबित भुगतानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लंबित मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और तकनीकी तथा प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या डिजिटल भुगतान प्रणाली, आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और शिकायत निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए कोई विशेष पहल की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सोनीपत तथा हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क)और(ख): विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के लागू होने के परिणाम स्वरूप, हरियाणा सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस

योजना को 1 जुलाई, 2026 से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। वीबी-जी राम जी योजना के संबंध में उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 01.07.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि हेतु केंद्रीय अंश के रूप में 590.19 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है। तत्पश्चात, राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विभिन्न घटकों के लिए प्रथम किश्त के रूप में 194.93 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की गई है।

वीबी-जी राम जी के कार्यान्वयन के शुभारंभ पर 01.07.2026 से निरस्त हो चुकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत मजदूरी के भुगतान के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में मजदूरी का भुगतान सीधे जमा किया जाता है। मजदूरी भुगतान के लिए स्वीकृतियां, निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निधि अंतरण आदेशों के आधार पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से मंत्रालय द्वारा प्रतिदिन जारी की जाती हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देनदारियों, यदि कोई हों, की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा विधिवत रूप से की जाती है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की सभी देय एवं स्वीकार्य लंबित मजदूरी देनदारियों का पहले ही निपटान कर दिया गया है।

इस योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हरियाणा के सोनीपत और हिसार जिलों में मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर सृजित किए गए निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) के प्रतिशत (%) का विवरण निम्नानुसार है:

मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर जारी किए गए निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) का प्रतिशत		
वित्तीय वर्ष	सोनीपत जिला	हिसार जिला
2023-24	94.31	82.54
2024-25	97.47	99.5
2025-26	93.83	97.23

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हरियाणा के सोनीपत और हिसार जिलों में पंजीकृत श्रमिकों का विवरण निम्नानुसार है:

		(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	सोनीपत ज़िले में पंजीकृत श्रमिक	हिसार ज़िले में पंजीकृत श्रमिक
2023-24	0.69	2.54
2024-25	0.69	2.54
2025-26	0.69	2.54

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हरियाणा के सोनीपत और हिसार जिलों में सृजित श्रम-दिवसों का विवरण नीचे दिया गया है:

		(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	सोनीपत जिले में सृजित श्रम-दिवस	हिसार जिले में सृजित श्रम -दिवस
2023-24	4.05	24.3
2024-25	3.86	24.3
2025-26	2.5	12.1

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सृजित किए गए निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में मजदूरी का भुगतान सीधे जमा किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थी मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होते हैं। सरकार, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), नियमित समीक्षा बैठकों और अन्य उपयुक्त तंत्रों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करती है और जब भी कोई विशिष्ट कार्यान्वयन संबंधी मुद्दा मंत्रालय के संज्ञान में आता है, तो उसका शीघ्र समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं।

इसके अलावा, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें मस्टर रोल अपलोड करने से लेकर एफटीओ अनुमोदित तक मजदूरी भुगतान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं। मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर

मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश सृजित करने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) में सुधार
- मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, लंबित दावों के सत्यापन और विलंब के मुआवजे के दावों आदि के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श
- समय पर भुगतान की निगरानी और विलंब के मुआवजे के भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना
- आवधिक बैठकों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय पर भुगतान और विलंब के मुआवजे के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करना
- कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, मध्य-अवधि समीक्षाएं आदि

इसके अलावा, मजदूरी के समयबद्ध भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं। इनमें से कुछ मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** मध्यस्थों की भूमिका को कम करते हुए मजदूरी सीधे केंद्रीय खाते से श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और लीकेज को रोकने में प्रभावी साबित हुआ है। लगभग 100% निधियों का प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है, जिसमें मजदूरी का पूरा भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है।
- **आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एपीबीएस):** एपीबीएस में रूपांतरण एक प्रमुख सुधार प्रक्रिया है, जहाँ महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों के आधार के आधार पर प्राथमिकता के साथ सीधे बैंक खातों में लाभ जमा किया जाता है, जिससे संवितरण प्रक्रिया में कई स्तर कम हो जाते हैं। एपीबीएस बेहतर लक्षित संवितरण, प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और भुगतान में विलंब को कम करने में मदद करता है, जिससे लीकेज पर रोक लगाकर व्यापक समावेश को बढ़ावा मिलता है और इस प्रकार अधिक जवाबदेही व पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिलता है।
- **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस):** कार्यस्थल पर जियो-टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से वास्तविक समय में उपस्थिति दर्ज करने से उपस्थिति का सटीक एवं

समयबद्ध रिकॉर्ड सुनिश्चित होता है, जिससे मजदूरी के समय पर भुगतान में मदद मिलती है।

इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-II में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद मजदूरी मांगने वाले विलंब के प्रत्येक दिन के लिए अभुगतान की गई मजदूरी के 0.05% की दर से विलंब के लिए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। विलंब मुआवजा संबंधी नियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। मुआवजे के लिए देय राशि का विधिवत सत्यापन और अनुमोदन किया जाता है, और फिर संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाता है।

(घ) और (ङ): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा लाभार्थियों के बैंक खाता संख्याओं में लगातार होने वाले परिवर्तनों और तत्पश्चात अद्यतन न होने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए, आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है।

एपीबीएस योजना के तहत मजदूरी संवितरण की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में मदद करता है तथा लाभार्थियों के खातों में तेजी से मजदूरी जमा होना सुनिश्चित करता है। आधार प्रमाणीकरण लीकेज और भ्रष्टाचार को भी कम करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि केवल सत्यापित पहचान वाले वैध लाभार्थियों को ही मजदूरी प्राप्त हो। एपीबीएस के माध्यम से भुगतान में विफल रहने की स्थिति में, खाता-आधारित भुगतान अर्थात् नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के माध्यम से भुगतान करने का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने तत्कालीन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली और शिकायत निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं तथा इन प्रावधानों को वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इनमें आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एपीबीएस) के माध्यम से मजदूरी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस), आधार आधारित, निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) को डिजिटल रूप से सृजित करना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से वास्तविक समय निगरानी, और शिकायतों के पंजीकरण, ट्रैकिंग व समयबद्ध निपटान के प्रावधान के साथ प्रौद्योगिकी-सक्षम शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।